न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः–144 / 18

01. राधाकिशन पुत्र छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलार्थी

बनाम

01. पेमा पुत्र रोडूराम दत्तक पुत्र लालू,
02. हरकरण पुत्र कानाराम,
03. मोहन पुत्र लादू,
04. जीतू पुत्र रामचन्द्र,
05. टीकमचन्द पुत्र रामचन्द्र,
06. गिरिराज पुत्र कानाराम,
07. सरदार पुत्र कानाराम,
08. रोडूराम पुत्र भोलूराम,
09. श्योजीराम पुत्र भोलूराम समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार फुलेरा, मुख्यालय, सांभरलेक, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्याः–145 / 18

01. राधाकिशन पुत्र छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलार्थी

बनाम

01. पेमा पुत्र रोडूराम दत्तक पुत्र लालू,
02. हरकरण पुत्र कानाराम,
03. मोहन पुत्र लादू,
04. जीतू पुत्र रामचन्द्र,
05. टीकमचन्द पुत्र रामचन्द्र,
06. गिरिराज पुत्र कानाराम,
07. सरदार पुत्र कानाराम,
08. रोडूराम पुत्र भोलूराम,
09. श्योजीराम पुत्र भोलूराम समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार फुलेरा, मुख्यालय, सांभरलेक, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

निर्णय

दिनांक: 22.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 19.04.2018 (प्रकरण संख्या 4/2018) एवं निर्णय दिनांक 25.04.2018 (नामान्तरकरण संख्या 1305) के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया था कि विरासत का फौती नामान्तरकरण खुलवाने के सम्बन्ध में आपने प्रकरण दर्ज किया है उसमें ग्राम श्रीरामपुरा की खाता संख्या 173 किता 4 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि लालू पुत्र दाना के नाम दर्ज है, लालू पुत्र छीतर नाऔलाद फौत हुआ था व लालू पुत्र छीतर ने एक अपनी रजिस्टर्ड वसीयत पेमा पुत्र रोडू दत्तक पुत्र लालू के नाम की थी उसमें इसी 29 बीघा 2 बिस्वा भूमि का किसी तरह का कभी जिक्र नही किया था व यह जमीन दाना पुत्र लिखमा के 14 बीघा 2 बिस्वा लालू पुत्र दाना के 15 बीघा आलॉट हुई थी यह दाना व लालू हमारे परिवार के सदस्ये थे दाना व लालू दोनों ही नाऔलाद थे जब दाना पुत्र लिखमा की मृत्यु हो गई तो उसका फौती नामान्तरकरण लालू पुत्र दाना के नाम खोल दिया इस तरह से लालू पुत्र दाना 15 बीघा स्वयं की व 14 बीघा, 29 बीघा 2 बिस्वा जमीन हो गई, लालू पुत्र दाना हमारे परिवार का सदस्य होने व नाऔलाद फौत होने व रजिस्टर्ड वसीयत में कही पर भी इस भूमि की लिखावट नही करने से यह भूमि हमारे परिवार की शामलाती भूमि होने व इस पर हमारे पूरे परिवार का हक बनता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय न उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पंचो द्वारा निष्पादित पंचनामा दिनांक 13.03.2001 जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं निष्पादित कर कथन किया कि "खसरा नम्बर 94, 128, 226, 228 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा जो लालू पुत्र दाना के व दाना पुत्र लिखमा के नाम थी जो छीतर के चारों बेटों के बराबर–बराबर हिस्से में रहेगी, एवं लाला जी के हिस्से में से 15 बीघा भूमि पेमा अपने शेष तीनों हिस्सेदारो रोडू जी श्योजी, कानाजी राधाकिशन को देगा, लाला जी की पांती में पेमा के 15 बीघा भूमि कम रहेगी।" उक्त तथ्य को भी नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन अदेश पारित किया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि बाबत् ग्रामवासी श्रीरामपुरा द्वारा दिनांक 26.05.2017 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

ग्राम श्रीरामपुरा के खसरा नम्बर 94, 128, 226, 238 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा जमीन लालू पुत्र दाना के नाम से खातेदारी दर्ज है इस जमीन से पेमा पुत्र रोडू दत्तक पुत्र लालू अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है, लालू पुत्र छीतर नाऔलाद था लालू ने एक रजिस्टड वसीयत दिनांक 28.02.1995 को तहसील कार्यालय में करवाई कि नाऔलाद होने के कारण अपनी सम्पत्ति का उततराधिकारी पेमा पुत्र रोडू कों नियुक्त किया व लालू की मृत्यु के बाद लालू पुत्र छीतर की सम्पत्ति, जमीन, जायदाद का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खुल गया लेकिन पेमा पुत्र रोडू इसी लालू पुत्र छीतर का उत्तराधिकारी होने के कारण व लालू पुत्र दाना व लालू पुत्र छीतर को एक ही व्यक्ति मानते हुय इस जमीन का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाना चाहता है, जो सरासर गलत है। अतः पेमा पुत्र रोडू दत्तक पुत्र लालू के नाम नामान्तरकरण नही खोले, अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट जब तहसीलदार से मिला तो तहसीलदार ने उनकी बातों पर व दस्तावेजों पर विचार नही किया तो उन्होने दिनांक 12.04.2018 को राजस्व उपनिवेशन सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार से निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण को तहसील सांभरलेक से अन्यत्र जांच करवाने के आदश जारी करवाये जाये, राजस्व मंत्री ने जिला कलक्टर जयपुर को आदेश दिया जिला कलक्टर जयपुर ने अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को शिकायती प्रार्थना पत्र मूल भेजकर अंकित तथ्यों की जांच रिपोर्ट 7 दिवस में कार्यालय को भिजवाने हेतु आदेशित किया, जिसकी प्रति तहसीलदार सांभरलेक को भेजी जिसकी दिनांक 13.04.2018 को रिसिवड़ कर ली थी उसी के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि जो नामान्तरकरण संख्या 267 ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया है उसमें लालू को बिना किसी आधार के ही दाना का पुत्र मानते हुय खोला है जो भी सरासर गलत है क्योंकि रेस्पोडेन्ट अकेला ही उक्त भूमि का मालिक नही है बल्कि उक्त भूमि शामलाती भूमि रही एवं सही बात यह है कि विवादित आराजीयात लालू पुत्र दानाराम 15 बीघा अलॉट हुई थी दाना के कोई औलाद नही थी उक्त तथ्य व वंशावली को नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सन्देहास्पद दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता सिद्ध न हो जाये तब तक कोई निर्णय पारित नही करना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के निहित सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये जो मनमाना निर्णय पारित किया है वह गलत है एवं काबिले निरस्त है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण से संदर्भित सभी पक्षकारों को न्याय प्रदान नही

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

कर जो मनमाना निर्णय पारित किया है वह काबिले निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.04.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 1305 पर पारित आदेश 25.04.2018 को अपास्त फरमाया जावे, तथा उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम हिस्सा 1/4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के हिस्सा 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि लालू पुत्र छीतर जाट द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.02.1995 को पेमाराम पुत्र रोडूराम जाट के नाम करायी गई है तथा लालू की पत्नी धापूदेवी ने भी दिनांक 28.05.2001 को एक रजिस्टर्ड गोदनामा पेमा पुत्र रोडू जाट के नाम के नाम कराया है। दाना पुत्र लखमा के नाम ग्राम श्रीरामपुरा में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण संख्या 267 में ग्राम पंचायत द्वारा दाना पुत्र लखमा का उत्तराधिकारी लालू पि0मु0 दाना को माना जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है तथा उक्त तीनों दस्तावेजों को किसी भी न्यायालय में चैलेन्ज नही किया गया है, पेमाराम के समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम लालूराम ही दर्ज है, पेमाराम बचपन से ही लालूराम के गोद गया था तथा उसके पास ही रहता था, लालू पुत्र दाना जाट की खातेदारी भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त पेमाराम का ही है, आपत्तिकर्ताओं का लालू पुत्र दाना जाट की सम्पत्ति पर कोई हक नही है एवं इसके सम्बन्ध मे आपत्तिकर्ताओं ने कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नही किये है, लालू पुत्र दाना जाट व लालू पुत्र छीतर जाट एक ही व्यक्ति है, लालू पुत्र दाना जाट की भूमि का एकमात्र उत्तराधिकारी पेमाराम ही है जिससे लालू पुत्र दाना जाट की खातेदारी भूमि की विरासत का नामानतररण पेमाराम पुत्र रोडूराम दत्तक पुत्र लालूराम जाट के नाम खोले जाने के अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लालू पुत्र दाना व लालू पुत्र छीतर दो व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मानते हुए लालू पुत्र दाना के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की विरासत का नामान्तरकरण पेमाराम पुत्र रोडूराम दत्तक पुत्र लालू के नाम खोलने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2018 पारित किया गया है जबकि एक व्यक्ति के दो पिता नही हो सकते तथा कानूनन इस तथ्य को तय करने के अधिकार भी राजस्व न्यायालयों को प्रदत्त नही है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विस्तृत जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2018 पारित किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 1305 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष का साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में विस्तृत जॉच की जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी०रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।